कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 8,831 /आई0टी0/EODB/विविध/2019–20/दिनांकः अगस्त 22,2019

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– विभाग के अन्तर्गत निर्गत होने वाले विभिन्न अनुज्ञापनों के Online होने पर Manual कार्य प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 577/XXIII/2019/21/2000/दिनांकः 05.08.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित "Ease Of Doing" तथा "Single Window" के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न आवेदनों के निस्तारण की प्रकिया "Online" किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश प्राप्त हुए है, इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग द्वारा स्वंय भी कई तरह के अनुज्ञापनों एवं मदिरा की निकासी आदि हेतु "Online" परमिट की व्यवस्था बनाई गयी है। शेष अनुज्ञापनों को भी "Online" किये जाने हेतु शासन स्तर से समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन द्वारा अपेक्षा की गयी है कि विभाग के अन्तर्गत जो अनुज्ञापन/कार्य "Online" किये जा रहे हैं वहाँ Manual कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया जाये।

अतः उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आबकारी विभाग में अनुज्ञापन आदि से सम्बन्धित कार्य जिनको uttrakhandexcise.org.in में ऑनलाईन किये जाने हेतु व्यवस्था है, को तत्काल प्रभाव से मैनुअल कार्य बन्द करते हुए ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः ———————/आई0टी0/विविध/2019–20/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांकः 05.08.2019 के क्रम में।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

22/8/19

(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner

570
05/08/19

उत्तराखण्ड देहरादून

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

उपायु० (I.T)

आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

सेवा में,
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांक 05 अगस्त ~~जुलाई~~, 2019

विषय :— विभाग के अन्तर्गत निर्गत होने वाले विभिन्न अनुज्ञापनों के Online होने पर Manual कार्य प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित "Ease of Doing" तथा "Single Window" के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया "Online" किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश प्राप्त हुए है, इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग द्वारा स्वयं भी कई तरह के अनुज्ञापन एवं मदिरा की निकासी आदि हेतु "Online" परमिट की व्यवस्था अपनाई गयी है। शेष अनुज्ञापनों को भी "Online" किये जाने हेतु शासन स्तर के समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये है।

2. अतः शासन की उक्त मंशा के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के अन्तर्गत जो अनुज्ञापन/कार्य "Online" किये जा रहे है वहां Manual कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है।

कृपया उक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XXIII/2019/21/2000 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त आवकारी आयुक्त, गढवाल मण्डल, देहरादून, कुमाऊ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला आवकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

di letter pk 2019-20

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner